**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 2145**

**उत्तर देने की तारीखः 12**.0**5**.2016

**शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों की समीक्षा**

**2145. श्री प्रभात झाः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद देश के शिक्षा क्षेत्र में हुए सुधार की समीक्षा की गयी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या समीक्षा के आधार पर अपेक्षित नए नीतिगत उपाय किये गए और क्या पुनः समीक्षा का प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्री

**(**श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अधिनियमन के परिणामस्‍वरूप, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना को अधिनियम के विधिक फ्रेमवर्क/के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया गया था। आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के मद्देनजर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्‍वयन फ्रेमवर्क में सितम्‍बर, 2010 में संशोधन किया गया था। आरटीई अधिनियम, 2009 के लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान अब मुख्‍य साधन और मनोनीत केंद्र प्रायोजित योजना है।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में कार्यान्‍वित किया जाता है। आरटीई अधिनियम, 2009 के लागू होने के बाद सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत (i) प्रारंभिक स्‍तर पर निरंतर और व्‍यापक मूल्‍यांकन के लिए अनुकरणीय पैकेज तैयार करना; (ii) स्‍कूल न जाने वाले बच्चों के विशेष प्रशिक्षण हेतु दिशा-निर्देश और मैनुअल तैयार करना; और (iii) बच्चों की आवश्‍यकता की दिशा में अध्‍यापकों का सुग्राहीकरण नाम से अनेक पहल की गई हैं।

गुणवत्‍ता पर ध्‍यान केंद्रित करने की दृष्‍टि से, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक नया उप कार्यक्रम, नामत: ‘पढ़े भारत बढ़े भारत’ (पीबीबीबी) शुरू किया गया है। इसका उद्देश्‍य कक्षा I और II में प्रारंभिक स्‍तर के पठन, लेखन और समझ एवं प्रारंभिक गणित के लिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्‍त, सरकार ने कक्षाओं में कक्षाओं से बाहर पर्यवेक्षण 6 से 18 आयु वर्ग के बच्‍चों को प्रयोग, अर्थ निकालने, मॉडल-निर्माण आदि के माध्‍यम से विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी के अध्‍यापन में प्रेरित और संलग्‍न करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान और माध्‍यमिक शिक्षा अभियान, दोनों के उप-घटक के रूप में 09.07.2015 को राष्‍ट्रीय आविष्‍कार अभियान (आरएए) का शुभारंभ किया है।

इसके अलावा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्‍य सरकारों और संघ राज्‍य क्षेत्र के प्रशासनों को सेवारत अध्‍यापकों के नियमित प्रशिक्षण, छात्र-अध्‍यापक अनुपात में सुधार के लिए अतिरिक्‍त शिक्षकों की भर्ती और ब्‍लॉक तथा क्‍लस्‍टर संसाधन केंद्रों के माध्‍यम से शिक्षकों को अकादमिक सहायता सहित अध्‍यापन स्‍तरों में सुधार के अनेक कदमों के लिए सहायता दी जाती है।

इसके अतिरिक्‍त, राष्‍ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्‍वविद्यालय (एनयूईपीए) ने ‘‘शाला सिद्धि’’ नाम से एक स्‍कूल मानक और मूल्‍यांकन फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसका उद्देश्‍य स्‍कूलों को और अधिक ध्‍यान केंद्रित करके तथा कार्यनीतिक तरीके से अपने कार्य-निष्‍पादन का मूल्‍यांकन करने और सुधार के लिए व्‍यावसायिक निर्णय लेने में समर्थ बनाना है।

(ख): सरकार ने, नई शिक्षा नीति (एनईपी) तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं, जिनमें, स्‍कूल और उच्‍चतर शिक्षा के विविध पहलुओं का समावेशन किया जाएगा। बहु-हितधारकों से प्राप्‍त सुझाव, शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित नई शिक्षा नीति के विकास हेतु समिति को भेज दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*